# कार्यकारी सार

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृत करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय करने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन सार्वजनिक क्षेत्र के इसके उपक्रमों अर्थात कोल इंडिया लि. (सीआईएल)और नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एलएलसी) लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो आंध्र प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है तथा जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

वर्ष 2014-15 के लिए कोयला मंत्रालय का परिणामी बजट इसके कार्यों और संगठनात्मक ढांचे के साथ मंत्रालय की दूरदर्शिता, उद्देश्य और लक्ष्यों का सिंहावलोकन के साथ सुदृढ़ होता है । (अध्याय-I)

इस दस्तावेज का द्वितीय अध्याय वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक आउटपुट और बजटीय परिणामों से संबंधित है । यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय परिव्ययों/आईईबीआर घटक को भी स्पष्ट करता है । एक विश्लेषणात्मक घटक को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिसमें 2013-14 में परिणामों पर तथा 2014-15 में मात्रात्मक सुपुर्दगियों के संबंध में संभावित परिणामों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । लिंग द्वारा आंकड़े को एकत्रित करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि कोयला/लिग्नाइट क्षेत्र में डिलिवरी प्वाइंट अलग नहीं है ।

तृतीय अध्याय हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण सुधार संबंधी उपायों और नीतिगत पहलकदमियों से संबंधित है । इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता को बढ़ाना; कोयला उत्पादन बढ़ाने और भूमिगत खनन में वृद्धि करने हेतु नवीकृत नीतिगत बल; चल रही परियोजनाओं को पूरा करना तथा वर्तमान परियोजनाओं का विस्तार; प्रौद्योगिकी विकास और खानों के आधुनिकीकरण के कार्य; नई वाशरियां स्थापित करने; सीआईएल द्वारा आपूर्तित कोयले के तृतीय पक्ष नमूनाकरण के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग; कोयला नियंत्रक संगठन का सुधार करना और सुदृढ़ बनाना; कोल इंडिया और इसकी सहायक कंपनियों में ईआरपी समाधान को कार्यान्वित करना और उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा करना।

- इसके अलावा, पर्यावरणीय और वन मंजूरियों में तेजी लाने और महत्वपूर्ण रेल लिंक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नीतिगत पहल किए गए हैं । कोयला अन्वेषण कार्य को फास्ट ट्रेक पर रखा गया है; उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा की जा रही है; कोयले की आपूर्ति और लिंकेज का युक्तिकरण किया जा रहा है; गुणवत्ता नियंत्रण तथा क्रशड कोयले की आपूर्ति के संबंध में कड़े उपाय सुनिश्चित किए जा रहे हैं; भूमि और पुनर्वास संबंधी मुद्दों के संबंध में कार्रवाई की जा रही है और कोयला ब्लॉकों के आबंटन तथा केप्टिव कोयला ब्लॉकों के विकास की मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- निजी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए रास्ता प्रशस्त करने के लिए विधिक/विनियामक फ्रंट पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी प्रस्तुत करने के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को 2010 में संशोधित किया गया है । कोयला मंत्रालय राज्य सभा में लंबित कोयला खान राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक, 2000 को प्रस्तुत करने तथा केवल विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोगों के लिए निजी कंपनियों द्वारा कोयला खनन पर प्रतिबंध को हटा करके एमएमडीआर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता पर कार्य कर रहा है ।

- कोयला ब्लॉकों की नीलामी के कार्य को फास्ट ट्रैक पर लाया जा रहा है । कोयला खान नियमावली, 2012 को प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन के लिए तीन कोयला ब्लॉक प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का एक नोटिस जारी किया गया है । अन्य तीन विचाराधीन हैं। सीएसआर नीति के विस्तृत व्यय विश्लेषण सहित इस अध्याय में कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक और सीसीडीए विधेयक को अद्यतन करने की व्यवस्था सीआईएल द्वारा की जा रही है ।

चौथे अध्याय में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में लक्ष्यों, वृद्धि के विश्लेषणों के संबंध में पूर्व निष्पादन की समीक्षा की गई है और 100 करोड़ रूपए और इससे अधिक की लागत से चल रही परियोजनाओं की कंपनी तथा परियोजना-वार स्थिति दी गई है ।

पांचवे अध्याय में बजट अनुमानों /संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय में समग्र रूझान की समीक्षा की गई है ।

छठे और अंतिम अध्याय में मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त संघ निकायों के कार्य निष्पादन की व्यापक रूप से समीक्षा की गई है । इस अध्याय में भी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों को दिया गया है ।